न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

c.c. Issued vide letter No-571 dt.- 31.12.13.
6/02/14
H.A.

सफीक राइन

वनाम

सत्य नारायण राय

वाद संख्या–30 / 13–14

वाद का प्रकार–वेदखली

आदेश

15.11.2013 बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत दायर किया गया है जिसमें प्रतिवादी पर वादी को प्रश्नगत भूमि से वेदखल करने का आरोप लगया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा जमालपुर

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
	2961	12 कट्ठा 10	
300	पु0	धुर	उ0–सुलेमान
	2962		
	पु0		द0–राम प्रवेश राय
	5584 नया		पु0–रसुल वक्स
	5585 नया		प0–रास्ता

प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रश्गनत भूमि वादीगण को दिनांक 20.04.1992 ई0 को केवाला द्वारा प्राप्त है जिसका केवाला नं0 294 है जो नाम मोकर अहमद एलाही वक्स राईन पे0 मरहुम जौजे जमालपुर प्रगणा आहीस थाना घनश्यामपुर से 20.04.1992 ई0 को आवेदक खरीद किया है जिस केवाला की छायाप्रति पुरक वाद पत्र में संलग्न की गयी है। आवेदक

42

मो0 राईन को वर्ष 2012 तक का उक्त भूमि का राजस्व रसीद प्राप्त है जिसकी छायाप्रति संलग्नी जा रही है। 106 बी0 टी0 एक्ट के तहत भी वाद चला है जिसका वाद संख्या 954/05 है जिसमें प्रथम पक्ष के दावे को स्वीकार किया गया है जो अवलोकन करने से प्रतीत होगा। खाता 300 खेसरा नं0 2961 एवं 2962 पुराना 5585 नया खेसरा रकवा 12 कट्ठा 10 धुर 07.01.1982 है को मो0 एलाही वक्स राईन से पे0 महमद चुल्हाय राईन मरहुम साकिन जमालपुर थाना घनश्यामपुर जिला दरभंगा में निबंधित करवाये है।

वाद की कारवाई के दौरान दोनो पक्षो के विधिवत सूचना दिया गया परंतु प्रतिवादी लगातार अनुपस्थित रहे फलस्वरूप एक पक्षीय सुनवाई करने का निर्णय लिया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना,अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यो का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि पर केवाला, लगान रसीद एवं 106 बी0 टी0 एक्ट के आदेश के आधार पर अपना दावा करते है जो वाद पत्र के साथ संलग्न किया गया है। उपलब्ध कागजातो के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध वादी के पक्ष में निबधित केवाला, लगान रसीद एवं 106 बी0 टी0 एक्ट का आदेश है जिसके आधार पर प्रश्नगत भूमि पर वादी का दावा सही प्रतीत होता है। अतः वाद को स्वीकार करते हुए प्रस्तुत कागजातों के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर वादी के दावा को सम्पुष्ट किया जाता है एवं अंचलाधिकारी किरतपुर को निर्देश दिया जाता है कि यदि वादी को वेदखल किया जाता है तो नियमानुसार आवश्यक कारवाई करें।

उपर्यूक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल